

## कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ

पत्रांक-1039/चा0बी0नि0 वि0/2020-21

दिनांक-22.09.2020

### विज्ञप्ति

निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 677/चारा/III एफ(417)/2019-20 दिनांक 03.09.2020 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना " अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के 250 लाभार्थियों का चयन किया जाना है। जिसके क्रम में जनपद के कृषकों/पशुपालकों को सूचित किया जाता है कि अपने क्षेत्र अन्तर्गत उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थी को रबी मौसम हेतु 10 किग्रा जई (0.1हे0 क्षेत्रफल) के साथ उर्वरक प्रति लाभार्थी को निशुल्क उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना " अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु मापदण्ड :-

1. लाभार्थी कम से कम 2 दुधारु पशु पालता हो तथा चारा उत्पादन हेतु इच्छुक हो।
2. योजनान्तर्गत लघु/सीमान्त कृषकों/पशुपालकों को चयन में वरीयता दी जायेगी। न्यूनतम 0.1हे0 एवं अधिकतम 0.5 हे0 भूमि पर चारा उत्पादन हेतु इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।
3. लाभार्थी के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो अथवा चारा फसल की सिंचाई आसानी से की जा सके।
4. लाभार्थी के पास स्वयं की जोत हो, जिसका सत्यापन खसरा/खतौनी से कर लिया जायेगा।
5. इस योजना से पूर्व में लाभान्वित किये गये लाभार्थियों को पुनः चयनित नहीं किया जायेगा।
6. लाभार्थियों का चयन करते समय यह प्रयास किया जाय कि जिस प्लाट में चारा फसल बोई जानी है, वह सड़क/चकरोड के आस पास हो अर्थात जहां पर वह सरलता से प्रदर्शित हो तथा अधिक से अधिक कृषक /पशुपालक अवलोकन कर सके।
7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला एवं अल्पसंख्यक लाभार्थियों को नियमानुसार चयन में वरीयता दी जायेगी। पी0सी0डी0एफ0 के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों का भी चयन किया जायेगा।
8. लाभार्थियों का चयन करते समय जिन कृषकों/पशुपालकों के बैंक खाते आधार नं0 से लिंक हों, को चयन में वरीयता दी जायेगी।
9. आवेदन पत्र एन0आई0सी0 की वेबसाइट lucknow.nic.in पर उपलब्ध है। साथ ही सम्बन्धित क्षेत्र के उपमुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी से भी प्राप्त किया जा सकता है।

(डा0 तेज सिंह यादव)  
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी  
लखनऊ

**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत लाभार्थी चयन हेतु आवेदन पत्र**

1. लाभार्थी का नाम - .....
2. पिता/पति का नाम-.....
3. लाभार्थी की श्रेणी (सा0/अ0पि0व0/अ0जा0/अ0ज0जा0)-.....
4. पूर्ण पता-.....
5. मोबाइल नम्बर-.....
6. आधार नम्बर-.....
7. बैंक खाता संख्या-.....
8. आईएफएससी कोड-.....
9. बैंक का नाम एवं शाखा - .....
10. लाभार्थी की जोत का प्रकार (लघु/सीमान्त/अन्य)-.....
11. चारा उत्पादन हेतु आच्छादित होने वाला क्षेत्रफल-.....

फोटोग्राफ पशु  
चिकित्सा  
अधिकारी द्वारा  
प्रमाणित

उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/  
पशु चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति

आवेदक के हस्ताक्षर